

अनुदान संख्या 99 - लोक निर्माण कार्य
GRANT No. 99-PUBLIC WORKS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	1,00,00	36,76	-63,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	671,95,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
		671,96,00	640,43,63	-31,52,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			9,73,91
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	Charged-	1,00,00	37,94	-62,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			60,00
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	279,22,00		
पूरक	Supplementary	3,00		
		279,25,00	210,38,53	-68,86,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			55,60,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत 30.00 लाख रु. का विनियोग पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।
2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of Rs.30.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.
2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works			
मू.	O.	67195.00		
पू.	S.	1.00	66222.09	64043.63
पु.	R.	-973.91		-2178.46
(I) "कार्यालय भवन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-		(I) Under "Office Buildings" - savings occurred under the following heads: -		
(का) "निर्माण - भवन"- 232.35 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2003 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1301.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और		(A) "Construction- Buildings" - saving of Rs.232.35 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1301.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2003); and		
(खा) "मशीनरी तथा उपस्कर - नई आपूर्तियां एवं मरम्मत"- 175.63 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।		(B) "Machinery and Equipments - New Supplies and Repairs"- saving of Rs.175.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs).		
उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें शीर्ष "पट्टा प्रभार" को निधि का अपवर्तन किए जाने के कारण हुई।		Savings under the above two heads were due to diversion of fund to the head "Lease Charges".		
(गा) "अनुरक्षण और मरम्मत - मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य"- 975.85 लाख रु. की बचत (14500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुरक्षण और मरम्मत (कार्यालय भवन) शीर्षों के अंतर्गत व्यय पर प्रतिबंध लगे होने के कारण हुई। "अन्य भवनों" के अंतर्गत निधियों की अत्यधिक आवश्यकता थी।		(C) "Maintenance and Repairs - Repair and Maintenance Works" - saving of Rs.975.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14500.00 lakhs) was due to restriction of expenditure under Maintenance and Repairs (Office Buildings) heads. The funds under 'Other buildings' were required essentially.		
(घा) "उचंत"-		(D) "Suspense"-		
(क) "स्टॉक"- 1416.31 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवन सामग्री, विशेष रूप से सीमेंट तथा स्टील की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।		(a) "Stock"- saving of Rs.1416.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to less purchase of Building Materials, primarily cement and steel.		

(ख) "विविध निर्माण कार्य अग्रिम"- 112.38 लाख रु. की बचत (520.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विविध निर्माण कार्यों के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) "सामान्य - निदेशन तथा प्रशासन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "निदेशन"- 102.37 लाख रु. की बचत (4334.40 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और अधिकारियों के संबंध में आश्रवासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम को स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण हुई।

(खा) "कार्य निष्पादन"- 681.17 लाख रु. की बचत (16455.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई, और

(गा) "संरचनात्मक नियोजन"- 190.98 लाख रु. की बचत (3026.45 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.87 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(I) "कार्यालय भवन - पट्टा प्रभार - स्थानीय निकायों को किराया, दरों एवं करों आदि की अदायगी"- 475.44 लाख रु. का अधिक व्यय (8300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली प्रभारों की दरों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(II) "अन्य भवन - अनुरक्षण और मरम्मत - मरम्मत और अनुरक्षण कार्य"- 471.71 लाख रु. का अधिक व्यय (4750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुरक्षण और मरम्मत (अन्य भवन) के अंतर्गत कुछ भवनों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत 62.06 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 62 प्रतिशत थी।

(b) "Misc. Works Advances"- saving of Rs.112.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.520.00 lakhs) was due to receipt of less claims of miscellaneous works.

(II) Under "General - Direction and Administration"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction" - saving of Rs.102.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4334.40 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-clearance of Assured Career Progression Scheme in respect of officers.

(B) "Execution" - saving of Rs.681.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16455.00 lakhs); and

(C) "Structural Planning" - saving of Rs.190.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3026.45 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under one head saving of Rs.60.87 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) "Office Buildings- Lease Charges- Payment of Rent, Rates and Taxes to Local bodies etc."- excess of Rs.475.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8300.00 lakhs) was due to increase in rates of electricity charges.

(II) "Other Buildings-Maintenance and Repairs- Repair and Maintenance works"- excess of Rs.471.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4750.00 lakhs) was due to meeting additional expenditure of some building under maintenance and repairs (other buildings).

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving of Rs.62.06 lakhs occurred under one head constituting 62 percent of the sanctioned *appropriation*.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	17839.00		
पू.	S.	3.00	15784.00	14420.89
पु.	R.	-2058.00		-1363.11
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture			
मू.	O.	2565.00		
पु.	R.	-1868.00	697.00	1068.41
				+371.41
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health			
मू.	O.	3510.00		
पु.	R.	-570.00	2940.00	2855.58
				-84.42
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services			
मू.	O.	1851.00		
पु.	R.	-1204.00	647.00	578.71
				-68.29

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"			
जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping			
मू.	O.	1006.00	706.00	626.39
पु.	R.	-300.00		
मुख्य शीर्ष "5455"	Major Head "5455"			
मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Meteorology			
मू.	O.	400.00	750.00	703.68
पु.	R.	350.00		

(I) 525.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 500.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपेथी" के अंतर्गत विभाग से नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "संचार"- 663.26 लाख रु. की बचत (726.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबद्ध विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "वित्त (राजस्व)"- 3188.00 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 8363.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हजारीबाग, सलीमपुर और नोएडा में कार्यालय भवन परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण में विलंब होने और संबद्ध विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.525.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.500.00 lakhs alone was under Major Head "4059" - "General - Construction - Indian System and Medicine and Homoeopathy" - due to non-receipt of sanction for new projects from the Department.

(II) Under Major Head "4059"- "General - Construction" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Communications" - saving of Rs.663.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.726.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval and expenditure sanctions from the client Department.

(B) "Finance (Revenue)" - saving of Rs.3188.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.8363.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2003) was due to delay in acquisition of land for office building projects at Hazaribagh, Salimpur and Noida and non-receipt of administrative approval and expenditure sanctions from the client Department.

(गा) "गृह"- 128.32 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) मुख्य शीर्ष "4210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना - भवन" के अंतर्गत 654.42 लाख रु. की बचत (3510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष "4250" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "श्रम - भवन"- 883.66 लाख रु. की बचत (1251.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "रोजगार - भवन"- 388.63 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें संबद्ध विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति के प्राप्त न होने और निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "4202" - "कला तथा संस्कृति - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत 1583.74 लाख रु. की बचत (2480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों के एकमुश्त प्रावधान से किए जाने और अपने पूंजीगत निर्माण कार्य पर व्यय किए जाने के संस्कृति विभाग के निर्णय की वजह से शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत 379.61 लाख रु. की बचत (1006.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजना के लिए स्वीकृति के न प्राप्त होने/विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत 157.91 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत और 68 प्रतिशत थीं।

6.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण - भवन" के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (420.00

(C) "Home Affairs" - saving of Rs.128.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs);

(III) Under Major Head "4210"- "Urban Health Services -Central Govt. Health Scheme-Buildings"- saving of Rs.654.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3510.00 lakhs);

(IV) Under Major Head "4250"- savings occurred under the following heads: -

(A) "Labour-Buildings" - saving of Rs.883.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1251.00 lakhs); and

(B) "Employment -Buildings" - saving of Rs.388.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 600.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-receipt of administrative approval and expenditure sanctions from the client Department and slow progress of works.

(V) Under Major Head "4202"- "Art and Culture - Other Expenditure-Buildings" - saving of Rs.1583.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2480.00 lakhs) was due to re-appropriation of part funds from lumpsum provision to functional heads and surrender of the balance amount due to decision of Department of Culture to carry out expenditure on its capital works.

(VI) Under Major Head "5052"- "General - Other Expenditure - Buildings"- saving of Rs.379.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1006.00 lakhs) was due to non/late receipt of sanction for new project.

(VII) Under two heads savings of Rs.157.91 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 33 percent and 68 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly (Rs.420.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament

लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि अगस्त, 2003 तथा फरवरी, 2004 प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 384.93 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - लोकसभा"- 878.67 लाख रु. का अधिक व्यय (619.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संसद एनेक्सी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का संस्थापन किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "मुख्य शीर्ष "5455" - "वेधशालाएं और मौसम केन्द्र - भवन"- 303.68 लाख रु. का अधिक व्यय (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञाग में डॉपलर रडार प्रणाली के लिए भवन का निर्माण किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 145.10 लाख रु. के समस्त व्यय को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था।

while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in August, 2003 and February, 2004 under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Buildings". Actual excess, however, was Rs.384.93 lakhs.

(II) The savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "4059"- "General-Construction- Lok Sabha"- excess of Rs.878.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.619.00 lakhs) was due to installation of video conferencing system in Parliament Annexe.

(B) Major Head "5455" - "Observatories and Weather Stations - Buildings"- excess of Rs.303.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to construction of building for Dopplar Radar System at Vizag.

(III) Under two heads entire expenditure of Rs.145.10 lakhs was met by re-appropriation of funds.